

**अनुमति की शर्तें ।**

- (1) सभी भवन/प्लांट के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, जमिनगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न तो निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम का सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नक्शों के विधेयत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

**एफएफ सिडवी भवन- निर्माण आगवा केवल आवासीय**  
**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर** **प्रशासनिक**

आवेदन क्रमांक 693 दिनांक 03/09/2020

पार्श्वीय सीमा ललित जॉर्ज श्री अरुणलाल नागल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

पार 199 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No = 23 बी-11 चौपालकी

भवन निर्माण हेतु मानावक कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9957/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9062/3835, 3836

दिनांक 03/09/2020 को जमा कर दी है ।

*Prof* 3/9/2020

सहायक नगर निरीक्षक  
 नगर निगम, जोधपुर

प्लान + 1  
 आवासीय

Received  
 4/09/2020